

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एमएसएमई के अतिरिक्त निदेशक पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

● अतिरिक्त निदेशक शशिकांत पर सेवा ऊर्जा लेखा परीक्षा योजना का वितरण सुनिश्चित नहीं करने का आरोप

सितंबर 2020 में नरेंद्र कपूर ने किया था आवेदन

प्रवक्ता ने बताया कि नरेंद्र कपूर ने 4 सितंबर 2020 को फरीदाबाद स्थित अपने व्यावसायिक इकाई के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन किया था। जिसे एमएसएमई निदेशालय द्वारा प्रचलित किया जाना था। यह आवेदन लगभग डेढ़ साल से लंबित पड़ा था और विभाग द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। कपूर ने आयोग को शिकायत सौंपी। इसके बाद आयोग ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। नतीजतन जांच करने और देश के लिए जिम्मेदारी तब करने के लिए निदेशक एमएसएमई को एक स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया गया। आयोग ने निदेशक एमएसएमई को 25 मार्च 2022 को रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष संबंधित अतिरिक्त निदेशक को पेश होने के निर्देश दिए। अतिरिक्त निदेशक एमएसएमई आयोग के समक्ष पेश हुए। जांच में पाया गया कि सेवा में देरी विभाग के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत की वजह से हुई। इससे आयोग ने शशिकांत पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो 30 कार्य दिवसों के अंदर राज्य के खजाने में जमा करने हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को भी 5 हजार रुपये दिए जाने हैं। आयोग ने एमएसएमई को उनके द्वारा अर्पित पुनः स्थापन की आवश्यकता समझाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने उद्योग और वाणिज्य निदेशालय और एमएसएमई निदेशालय की ओर से ऐसे कई और विलंबों की भी पहचान की है। आयोग किसी भी संबंधित अधिकारी को नहीं बखोला, जो कार्य नैतिकता का सम्मान नहीं करता है। आयोग के सख्त खैरे के कारण अब सभी विभागों में सेवाओं के वितरण में तेजी आई है।

चंडीगढ़, 31 मार्च (सवेरा व्यूरो) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को सरकारी कार्यालयों से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं प्राप्त करने में परेशान न किया जाए। आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त है, जो काम के प्रति अपने दृष्टिकोण में ढिलाई

बरतते हैं। हाल ही में एक मामले में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एमएसएमई के अतिरिक्त निदेशक

शशिकांत पर सेवा-ऊर्जा लेखा परीक्षा योजना का वितरण सुनिश्चित नहीं करने के लिए 20 हजार रुपये

का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता को फाइल करीब डेढ़ साल से लंबित थी।